	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुभाष बनाम मनोहर वगै. प्र. पत्र 212 आर. टी. एक्ट 1. 7. 2019 आज यह प्र. पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 345/0. 04, राहवाके ग्राम कोठीनारायणपुर तह. राजगढ मे स्थित है से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा न करें न राह की खोदी गई मिटटी को उठाकर अपनी आराजी ख. सं. 341, 344 वाके कोठीनारायणपुर तह. राजगढ मे मिलायें ना राह भूमि पर खडे पेड कीकर पापड छोकडा को काट कर न ले जावें राह की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें । साथ मे शपथ पत्र व दस्तावेज पेश किये गयें । प्र. पत्र प्रार्थी, शपथ. पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 31. 7. 2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित राह से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल न करें । आराजी पर से खडे वृक्षो को काटकर न ले जावें । आराजी की मिटटी को अपनी खातेदारी की आराजी ख. सं. 341, 344 मे न मिलायें । राह के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें साथ मे अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो कि उन्हे इस सम्बन्ध मे कोई एतराज हो तो दिनांक 31. 7. 2019 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें । दर्ज हों । उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ (अलवर) 31/7/19 पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर है अतः पत्रावली दि० 19/8/19 को पेश हो रीडर 19/8/19 वकील फरीकैन व पक्षकार [illegible] [illegible] 11/11/19 को पेश हो [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/10/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 03/01/25 को पेश हो। रीडर 03/01/25 पत्रावली पेश। तकु० उप०। वास्ते बहस दिनांक 08/01/25 को पेश हो। sd SDO 08/01/25 पत्रावली पेश। वकुलाय उप०। बहस वकुलाय सुनी गई बाद गौर बहस व अवलोकन पत्रावली मूलवाद के निर्णय तक ताफैसला दावा मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद हो। sd SDO	